


मन्वर व
हकाम जा
वस की तामील
में जारी हुए



सिद्ध
22/10/20

श्री 0/0/0
26/11/2020

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, तालेडा जिला बूंदी राज0

वाद संख्या /2018

1. रामशंकर आयु 37 वर्ष आत्मज लदूर जाति बलाई निवासी गामछ तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0
2. शांतीबाई आयु 70 वर्ष आत्मज नारायण जाति बलाई निवासी गामछ तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0

.....वादीगण

/बनाम/

1. राज0 राज्य जयें तहसीलदार साहब, तालेडा जिला बूंदी राज0

.....प्रतिवादी

वाद अधिकार घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 व 2 जा.दी.

सपठित धारा 88,89,188 रा.टि.एक्ट

वाद विद्धो किये जाने बाबत।

मान्यवर महोदय,

वादी निम्न निवेदन करता है -

1. यह कि उक्त उनवान का प्रकरण श्रीमान के न्यायालय में जैरकार है जिसमें आगामी तारीख पेशी 27-11-20 नियत है।
2. यह कि वादी द्वारा राजस्व जमा करवा दिया गया है, जिससे उसे खातेदारी प्राप्त हो गई है, जिससे न्यायालय में दावे का कोई औचित्य

समस्त 0/0/2

श्री 0/0/0



/2/


नही रहा है। जिससे वादी उक्त वाद पत्र को विद्धो करवाया जाना चाहता है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि वाद को विद्धो किये जाने की कृपा करें।

दिनांक 26/10/20

रामशंकर

प्रार्थी/वादी



रामशंकर आत्मज लटूर

जाति बलाई निवासी गामछ तहसील तालेडा

जिला बूंदी राज0

